



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

सं० I-11013/4/2021-आईसीटी (हार्डवेयर नीति)

दिनांक: 02.07.2024

सर्कुलर

विषय: गैर-सेवा योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और ईएसआईसी की अन्य संबंधित वस्तुओं की अप्रचलित के रूप में घोषणा।

उपरोक्त विषय पर पहले के परिपत्र संख्या I-11/13/06/2018-ICT (DISPOSAL) दिनांक 04.10.2018 और शुद्धिपत्र दिनांक 08.10.2018 की निरंतरता में सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 04.10.2018 को मौजूदा क्षतिपूर्ति और निपटान संबंधी निर्देशों में निम्नलिखित परिवर्तनों को मंजूरी दी है।

मौजूदा खंड सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
1	डेस्कटॉप और लैपटॉप के उपयोगिता अवधि (Lifespan) की सिफारिश 5 साल के रूप में की जाती है अर्थात् 31.03.2013 को या उससे पहले खरीदे गए डेस्कटॉप/लैपटॉप को अप्रचलित घोषित किया जा सकता है।	ऑल इन वन (एआईओ)/डेस्कटॉप के उपयोगिता अवधि (Lifespan) की खरीद/स्थापना (जो भी बाद में हो) की तारीख से 5 साल के रूप में सिफारिश की जाती है। लैपटॉप का उपयोगिता अवधि (Lifespan) खरीद की तारीख से 4 वर्ष है।
2	सभी हार्डवेयर उपकरणों का उपयोगिता अवधि (Lifespan) (डेस्कटॉप और लैपटॉप को छोड़कर) और खरीद की तारीख से सात (7) वर्ष के रूप में सॉफ्टवेयर यान्त्री 31.03.2011 को या उससे पहले खरीदे गए उपकरणों को अप्रचलित घोषित किया जा सकता है।	सभी हार्डवेयर उपकरणों का उपयोगिता अवधि (Lifespan) (डेस्कटॉप और लैपटॉप को छोड़कर) और साफ्टवेयर खरीद / स्थापना की तारीख से सात (7) वर्ष (जो भी बाद में हो) के रूप में और तदनुसार अप्रचलित घोषित किया जा सकता है।

अन्य सभी खंड, नियम और शर्तें परिपत्र दिनांक 04.10.2018 के अनुसार रहेंगी।

यह महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जय प्रकाश शर्मा)
उप-निदेशक (आईसीटी)

प्रति,

1. जोनल बीमा आयुक्त / जोनल मेडिकल कमिश्नर
2. सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रभारी)
3. सभी ईएसआईसी चिकित्सा अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक
4. डी(एम) दिल्ली/डी(एम) नोएडा/निदेशक एनटीए

5. डीन, सभी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
6. वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए वेबसाइट सामग्री प्रबंधक।